Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में हत्या करने के आरोपी सौरव उर्फ शेरू व ईश्वर उर्फ विक्की को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर प्रत्येक को हुई सश्रम आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2020 में अभियुक्त सौरव उर्फ शेरू पुत्र सेवाराम व ईश्वर उर्फ विक्की पुत्र लोकिन्द्र निवासी ग्राम जागोस थाना छपरौली जनपद बागपत द्वारा हत्या करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 78/2020 धारा 452/302/504/34 भादवि व 3(2)5 एससीएसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 18.02.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त सौरव उर्फ शेरू व ईश्वर उर्फ विक्की को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice baghpatpolice Baghpat Police